

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

नाम अदालत उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

गाँव नं-5

बनाम

शुद्धिवादी/काँस

किस्म मुकदमा

131, 136 LR Act

नं.

83/CR/2025

सन्

2025

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

17/10/25

वाद पत्र/प्रार्थनापत्र धारा 131, 136 LR Act के तहत एवं प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के साथ वकील श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20-10-2026 को पेश हो।

13/12/25

पत्रावली प्रार्थी अखिलेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र "विश्वेन्द्र कुमार, पत्रावली को तलब करने का अहकाम" पर आज तारीख प्रेषित में तलब की गयी। प्र. पत्र का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी माण्डवन्द द्वारा उक्त विचारधीन प्रश्न/पत्रावली को विश्वेन्द्र के आधार पर फैसला करवाने हेतु प्रार्थी अखिलेश्वर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अखिलेश्वर का प्र. पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली विश्वेन्द्र को निवेदन पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल कुमार होउर नम्बर 83/CR/2025 दिनांक 13/12/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बून्दी (राज0)